भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : **256**
दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 / 14 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों को पट्टे पर देना

* 256. **एडवोकेट ए°एम° आरिफ:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत प्रचालन, प्रबन्धन और विकास इत्यादि के लिए तिरूवनंतपुरम विमानपत्तन सहित कुछ विमानपत्तनों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस परियोजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा निभाई जा रही भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एयर इंडिया के शेयरों को पूरी तरह से बेचने का निर्णय लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"विमानपत्तनों को पट्टे पर देने" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 5.12.2019 के मौखिक प्रश्न संख्या 256 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) तथा (ख): केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 08.11.2018 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के छ: हवाईअड्डों यथा अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरूवनंतपुरम तथा मंगलुरू को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) स्वरूप में प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए पट्टे पर दिए जाने का "सैद्धांतिक अनुमोदन" दिया गया है जो इस सेक्टर के लिए अपेक्षित निवेश की पूर्ति किए जाने के साथ-साथ हवाईअड्डों की सेवा सुपुर्दगी एवं कार्यकुशलता में सुधार लाने और इनमें विशेषज्ञता, उद्यमिता तथा व्यावसायिकता के समावेश करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वैश्विक निविदा आमंत्रित करके उच्चतर बोलीदाता का निर्धारण कर लिया गया है। इसके आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अहमदाबाद, लखनऊ तथा मंगलुरू हवाईअड्डों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी अवार्ड पत्र, मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेस को जारी किया गया है। शेष तीन हवाईअड्डों को पट्टे पर दिए जाने का कार्य मुकद्दमें बाजी और अन्य मुद्दों के कारण अभी रोक दिया गया है।

(ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमान दिक्कचालन सेवाएं (एएनएस) (सांविधिक क्रियाकलाप होने के कारण) प्रदान की जानी, जारी रखी जाएंगी तथा विमान दिक्कचालन सेवाओं से प्राप्त होने वाला राजस्व, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ही प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा, रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, सम्पूर्ण रियायत अवधि के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा, प्रमुख निष्पादन सूचकों (केपीआई) के संबंध में रियायतग्राही के निष्पादन की मॉनीटरिंग की जाएगी। इन हवाईअड्डों की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना (पीपीपी) से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी तक किए गए अपने अप्राप्त निवेश की प्रतिपूर्ति, अपफ्रंट भुगतान के रूप में प्राप्त होने से इसके राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके अलावा, रियायत करार की शर्तों के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, रियायतग्राही से प्रति यात्री शुल्क की प्राप्ति भी होगी।

(घ): एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्रव्यवस्था (एआईएसएएम) द्वारा, अब अन्य बातों के साथ-साथ एअर इंडिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को पुन: प्रारम्भ करने के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस सहित एअर इंडिया में भारत सरकार की 100 प्रतिशत अंशधारिता तथा एअर इंडिया सैट्स में एअर इंडिया की अंशधारिता की बिक्री किए जाने का अनुमोदन, प्रदान किया गया है। एअर इंडिया में रणनीतिक विनिवेश किए जाने के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने संबंधी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) तैयार किया जा रहा है।

*****